प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका (227) क्रमांक 747/2022

1. निक्कू उर्फ नेक सिंह आत्मज किशनलाल, आयु लगभग 38 वर्ष,
2. जवाहर आत्मज किशनलाल आयु लगभग 40 वर्ष दोनों निवासी दुकान नंबर 4, ब्लॉक नंबर 3, सर्कुलर मार्केट, भिलाई पावर हाउस, तहसील और जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़
.....वादी, छत्तीसगढ़

--------- याचिकाकर्ता

बनाम

1. रमेश कुमार अरोरा आत्मज स्वर्गीय ताराचंद अरोरा आयु लगभग 48 वर्ष निवासी कैंप-2, भिलाई, तहसील और जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़) प्रतिवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. वजीर चंद आत्मज ईशर दास, आयु लगभग 70 वर्ष, निवासी ब्लॉक-3, दुकान नं. 7-8, कैंप 2, भिलाई तहसील और जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़

---------- प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए: श्री पुनीत रूपारेल, अधिवक्ता

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी

आदेश बोर्ड से पारित
6/12/2022

1. सुना गया।

2. यह याचिका निष्पादन प्रकरण क्रमांक 1489/2003 में पारित दिनांक 6.8.2022 के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं/निर्णीत ऋणी द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 29 के तहत प्रस्तुत आवेदन को 1000/- रुपये के व्यय के साथ खारिज कर दिया गया है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी क्रमांक 1 रमेश कुमार अरोड़ा ने वर्तमान याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी क्रमांक 2 के खिलाफ सर्कुलर मार्केट, भिलाई में स्थित दुकान को रिक्त कराने और बकाया किराया और क्षति दिलाने के लिए व्यवहार वाद क्रमांक 2-अ/2002 दायर किया है। उक्त वाद प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में दिनांक 19.4.2003 के निर्णय द्वारा डिक्रीत किया गया था, इस न्यायालय ने प्रथम अपील क्रमांक 107/2003 में दिनांक 21.8.2018 के निर्णय द्वारा (प्रतिवादी क्रमांक 2 - वजीर चंद द्वारा प्रस्तुत) जिसकी पुष्टि की थी। उक्त निर्णय में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वर्तमान याचिकाकर्ता, जो उक्त मामले में प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 थे, वर्ष 1998 से किरायेदार के रूप में शामिल किए गए थे और प्रतिवादी 2 और 3 ने 21.5.1992 के बाद भूस्वामी को कोई किराया नहीं दिया है और इसलिए, प्रतिवादी 1 और 2 परिसर के कब्जे के लिए वादी को जुलाई 1993 से परिसर के रिक्त अधिपत्य सौंपने तक 1500/- रुपये प्रति माह की दर से क्षति देने के लिए उत्तरदायी हैं। अतः, अधिपत्य, किराए के बकाया और क्षति के लिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की पुष्टि की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने प्रथम अपील क्रमांक 107/2003 में पारित दिनांक 21.8.2018 के निर्णय को विशेष अनुमति अपील (सी) क्रमांक 3883/2019 में उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी और इसे दिनांक 15.2.2019 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था, जिसमें वर्तमान याचिकाकर्ताओं को उक्त आदेश पारित होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर उच्चतम न्यायालय के समक्ष जनरल अंडरटेकिंग दाखिल करने और किराए के सभी बकाया, यदि कोई हो, का भुगतान करने और उपयोग और कब्जे के शुल्क के रूप में तीन महीने का किराया अग्रिम भुगतान प्रतिवादी-स्वामी को करने के निर्देश दिए गए थे।

5. इस न्यायालय द्वारा अंडरटेकिंग के बारे में पूछे जाने पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस प्रकार का अंडरटेकिंग याचिकाकर्ताओं द्वारा उच्चतम

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। हालाँकि, विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है कि आज तक याचिकाकर्ताओं ने वाद परिसर रिक्त नहीं किया है।

6. यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष अंडरटेकिंग देने और मुकदमेबाजी के पहले दौर में कानूनी लड़ाई हारने के बाद, निर्णीत-ऋणी/वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने चालाकी से उसी वाद परिसर के संबंध में घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए और साथ ही व्यवहार वाद क्रमांक 2-अ/2002 में पारित दिनांक 19.4.2003 के निर्णय और डिक्री को अपास्त करने के अनुतोष हेतु सप्तम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दुर्ग के समक्ष एक नवीन वाद दायर किया है, जो सिविल वाद क्रमांक 18-अ/2019 के रूप में पंजीकृत हुआ और दिनांक 13.5.2019 को संस्थित हुआ। याचिकाकर्ताओं ने उक्त वाद में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत एक आवेदन भी पेश किया है, जिसे दिनांक 12.5.2022 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया है। उक्त आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा इस न्यायालय के समक्ष विविध अपील क्रमांक 72/2022 दायर की गई है, जिसमें प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया है। याचिकाकर्ता ने आगे रिट याचिका क्रमांक 414/2022 दायर की, जिसमें दिनांक 11.7.2022 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ताओं ने व्यवहार वाद क्रमांक 18-अ/2019 को निर्धारित समय के भीतर निराकृत करने का निर्देश देने की प्रार्थना की और याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सीमित प्रार्थना पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने प्रार्थना को स्वीकार किया और विचारण न्यायालय को उक्त आदेश की प्रति प्राप्ति की तारीख से 1 वर्ष 6 महीने की बाहरी सीमा के भीतर उक्त वाद की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. डिक्री-धारक/प्रतिवादी क्रमांक 1 रमेश कुमार अरोड़ा ने सिविल वाद क्रमांक 2-ए/2002 में उनके पक्ष में पारित दिनांक 19.4.2003 के निर्णय और डिक्री के अनुसरण में 28.7.2003 को निष्पादन कार्यवाही दायर की है। उक्त निष्पादन मामले में, निर्णीत-ऋणी /याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति उठाई है, जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। अतः यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

8. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत रूपारेल ने तर्क किया कि नए तथ्यों की खोज के कारण याचिकाकर्ताओं/निर्णीत-ऋणी ने अलग से व्यवहार वाद क्रमांक 18-अ /2019 दायर किया है और यदि निष्पादन कार्यवाही जारी रहती है, तो उक्त वाद निष्फल हो जाएगा। अतः वे प्रार्थना करते हैं कि व्यवहार वाद क्रमांक 18-अ/2019 के अंतिम निराकरण तक निष्पादन कार्यवाही को स्थगित किया जाए।

9. मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को श्रवण किया है और याचिका के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अत्यंत सावधानी से अवलोकन किया है।

10. **राहुल एस. शाह बनाम जितेंद्र कुमार गांधी एवं अन्य, 2021 6 एससीसी 418** के मामले में, निष्पादन कार्यवाही के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अवलोकन किया है:-

> 23. इस न्यायालय ने बार-बार टिप्पणी की है कि अन्याय को रोकने के लिए दिए गए उपायों का दुरुपयोग वास्तव में आदेशों के समय पर क्रियान्वयन और डिक्री के निष्पादन को रोककर अन्याय करने के लिए किया जा रहा है। महाप्रबन्धक राज दरभंगा बनाम महाराजा कुमार रामपत सिंह में वर्ष 1872 में प्रिवी कौंसिल द्वारा भी चर्चा की गई थी और यह अवलोकित किया गया था कि भारत में किसी वादी की वास्तविक कठिनाइयाँ तब शुरू होती हैं जब वह डिक्री प्राप्त कर लेता है। इस न्यायालय ने शुभ करण बुबना मामले में भी इसी प्रकार की टिप्पणी की थी जिसमें न्यायालय ने सीता सरन बुबना के मामले में सिफारिश की थी कि विधि आयोग और संसद को उन प्रावधानों पर ध्यान देना चाहिए जो सफल निष्पादन में बाधा डालते हैं। न्यायालय ने कहा कि विधि आयोग या संसद को उचित सिफारिशों को लागू करना चाहिए ताकि वाद के न्यायनिर्णयन को नियंत्रित करने वाली सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में ऐसे संशोधन सुनिश्चित किए जा सकें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाद के न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया कार्यवाही शुरू होने से लेकर निष्पादन के बाद राहत प्राप्त करने के चरण तक निरंतर बनी रहे। निष्पादन कार्यवाही जो न्याय की दासी मानी जाती है और न्याय के उद्देश्य की पूर्ति करती है, वास्तव में ऐसे उपकरण बन रहे हैं जिनका न्याय में बाधा डालने के लिए आसानी से दुरुपयोग किया जा रहा है।
>
> 24. डिक्री के निष्पादन के संबंध में, व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 47 निष्पादन से संबंधित मुद्दों की सीमित प्रकृति यानी डिक्री के निर्वहन या संतुष्टि के न्यायनिर्णयन पर विचार करती है और यह व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के परिणामी प्रावधानों के साथ संरेखित है। धारा 47 का उद्देश्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मुकदमों की बहुलता को रोकना है। यह केवल प्रक्रिया और वह रूप निर्धारित करती है जिसके द्वारा न्यायालय निर्णय पर पहुंचता है। धारा की प्रयोज्यता के लिए, दो आवश्यक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले, प्रश्न पक्षों के बीच उत्पन्न होना चाहिए और दूसरा, विवाद निष्पादन, या डिक्री की संतुष्टि निर्वहन से संबंधित होना चाहिए। इस प्रकार, धारा 47 का उद्देश्य अवांछित मुकदमेबाजी को रोकना और सभी आपत्तियों का यथासंभव शीघ्रता से निराकरण करना है।

25. इन प्रावधानों में यह विचार किया गया है कि डिक्री के निष्पादन के लिए निष्पादन न्यायालय को डिक्री से आगे नहीं जाना चाहिए। हालांकि, निष्पादन के समय पुनः परीक्षण जैसी कार्यवाही में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे डिक्री के निष्पादन में विफलता हो रही है, जिसे पक्षकार अपने पक्ष में डिक्री होने के बावजूद न्यायालयों से चाहता है। अनुभव से पता चला है कि निष्पादन न्यायालय के समक्ष विभिन्न आपत्तियां दायर की जाती हैं और डिक्री धारक डिक्री के निष्पादन से वंचित हो जाता है और निर्णय ऋणी, विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए, उस विषय वस्तु से लाभ उठाने की अनुमति देता है, जिसका वह अन्यथा हकदार नहीं है।

40. घनश्याम दास गुप्ता बनाम अनंत कुमार सिन्हा में, इस न्यायालय ने अवलोकित किया था कि निष्पादन के संबंध में संहिता के प्रावधान अन्य विधियों के तहत सामान्य रूप से उपलब्ध प्रावधानों की तुलना में बेहतर न्यायिक गुणवत्ता के हैं और न्यायाधीश को न्याय प्रशासन के लिए विशेष रूप से सौंपा गया है, इसलिए उनसे बेहतर करने की उम्मीद की जाती है। व्यावहारिक दृष्टिकोण और न्यायिक व्याख्याओं के साथ, न्यायालय को निर्णय ऋणी या किसी भी व्यक्ति को डिक्री के निष्पादन में देरी करने के लिए उकसाने या तुच्छ दावा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उदाहरण के लिए, धन के दावे से संबंधित वादों में, न्यायालय, वादी के आवेदन पर या धारा 151 के तहत अन्तर्निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, परिस्थितियों के तहत, प्रतिवादी को मुकदमे की आगे की प्रगति हेतु सुरक्षा निधि प्रदान करने का निर्देश दे सकता है। इनमें से किसी भी निर्देश का पालन न करने के परिणाम आदेश 17 नियम 3 में देखे जा सकते हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस लौटते हुए, यह स्पष्ट है कि **राहुल एस. शाह (पूर्वोक्त)** में प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रकाश में, प्रस्तुत प्रकरण विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक ज्वलंत उदाहरण है और इसे डिक्री के निष्पादन को विफल करने के लिए दायर किया गया है। यह न्यायालय पाता है कि उच्चतम न्यायालय से प्रकरण जीतने के बावजूद डिक्रीधारक डिक्री के फल से वंचित है। वर्तमान याचिकाकर्ताओं/निर्णीत

ऋणी ने निर्धारित समय के भीतर वाद परिसर को खाली करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक अंडरटेकिंग भी प्रस्तुत की है, लेकिन आदेश का पालन करने के बजाय, उन्होंने मुकदमेबाजी के दूसरे दौर में व्यवहार वाद क्रमांक 2-अ/2002 में पारित दिनांक 19.4.2003 के आदेश को चुनौती देते हुए एक अलग व्यवहार वाद क्रमांक 18-अ/2019 दायर किया है।

12. उपर्युक्त के लिए, यह न्यायालय आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं पाता है जिसके लिए इस न्यायालय को अपने रिट अधिकारिता का प्रयोग करके हस्तक्षेप करना चाहिए।

13. आक्षेपित आदेश की पुष्टि की जाती है और वर्तमान याचिका 10,000/- रुपये के व्यय के साथ खारिज की जाती है, जिसे दो महीने के भीतर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के समक्ष जमा करना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
(दीपक कुमार तिवारी)
न्यायाधीश

(Translation has been done with the help of AI Tool : SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।